

लोहरा जनजातियों के संदर्भ में जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा

वीणा कुमारी

पीएच.डी

स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग राँची विश्वविद्यालय, राँची

डॉ पारस कुमार चौधरी

एसोसिएट प्रोफेसर

स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग राँची विश्वविद्यालय, राँची

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATIONIN THIS JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER.IHAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ PLAGIARISM/ OTHER REAL AUTHOR ARISE, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL

सारांश

जनजातीय विकास विभिन्न स्तरों पर मुख्य धारा तक पहुँचने के लिए जनजातीय लोगों का समग्र उत्थान है। भारत में जनजातीय लोगों को अपने सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और आर्थिक स्थिति को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें अन्य उन्नत लोगों द्वारा दुर्घटनाएँ और शोषण से भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जनजातीय विकास में केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन, शिक्षा आदि के मामले में सुधार भी शामिल है। हमारे देश में आदिवासियों और कमज़ोर समूहों का उत्थान एक संवैधानिक दायित्व और राज्य का कर्तव्य है। सरकार ने जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए उनके और उनके क्षेत्रों के उत्थान के लिए कई विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को तैयार और कार्यान्वयित किया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न जनजातियों को विधायी संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के व्यापक आर्थिक ढांचे में निर्वाह अर्थव्यवस्था से आकर्षित करने के प्रयासों को अधिक सफलता नहीं मिली है। अध्ययन में लोहरा आदिवासियों के समाधान और सुधार के सुझावों के संदर्भ में जनजातीय विकास की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान शोध कार्य में जनजातीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अध्ययन शामिल है।

कीवर्ड: —आदिवासी विकास, कार्यक्रम और योजनाएं, आदिवासी लोग।

परिचय

आदिवासी 'आदिवासी' या मूल निवासी हैं, जो प्राचीन काल से उपमहाद्वीप में रह रहे हैं और अधिक आक्रामक बसने वालों द्वारा जंगलों के लिए मना किया गया है – आर्य उन्हें सामाजिक रूप से अधीन करने वाले सबसे शुरुआती व्यक्ति हैं। पूर्ण वर्चस्व का विरोध करने के लिए, आदिवासियों ने सजातीय विवाह, अपने फसल पैटर्न, शिकार और भोजन संग्रह के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान विकसित की। इन सबसे ऊपर, अपने आसपास के जंगल के साथ अपने गहन व्यक्तिगत संबंधों में, उन्होंने पूरी तरह से संतुलित लय बनाई जिसे सहजीवी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जनजातीय कल्याण और विकास के लिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग, 1961 श्री यू.एन. ढेबर की अध्यक्षता में पाया गया कि संविधान ने संसाधनों के प्रावधान की व्यवस्था की और आवश्यक संरक्षण तंत्र प्रदान किया। संविधान में आदिवासियों के लिए कुछ सुरक्षा उपायों को शुरू में दस वर्षों के लिए सहयोग किया गया था। इस अवधि को निर्धारित करने में, संविधान ने एक प्रभावी अनुवर्ती कार्यक्रमों की परिकल्पना की थी जो उनकी निरंतरता की आवश्यकता को समाप्त कर देते। यह आशा पूरी नहीं हुई और अवधि बढ़ा दी गई है। लेकिन यह देखा गया है कि ऐसा संविधान में ही किसी कमी के कारण नहीं किया गया है। यह प्रदर्शन में कमी का परिणाम है। संविधान ने जानबूझकर दोनों पहलुओं पर जोर दिया – सुरक्षात्मक और साथ ही विकास। संविधान के सदस्य इस बात के इच्छुक थे कि आदिवासी अपने गुणों और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में शामिल हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में आदिवासियों की स्थिति को देखते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया। प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 46,244, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 342 और अनुसूची ट, टप में निहित हैं। संविधान संबंधित क्षेत्र में जनजातीय स्थिति के अनुसार कानूनों में बदलाव की भी अनुमति देता है।

आदिवासी लोग सांस्कृतिक विरासत और कला और शिल्प के कौशल में समृद्ध हैं लेकिन वे अभी भी उच्च शिक्षा के साथ–साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में हाशिए पर हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में, दुनिया एक गाँव में सिमट गई है क्योंकि समाज प्रौद्योगिकी में उन्नत हो गया है। लेकिन सही अर्थों में भारतीय संस्कृति के रखवाले हैं जनजातियां उन्नति की इस दौड़ में बहुत पीछे हैं।

जनजातियों का विकास विकास की अवधारणा का उपयोग अधिक समग्र अर्थ में किया गया है। विकास का उद्देश्य सभी लोगों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए समान अवसर प्रदान करना है। इस तरह, यह सामाजिक न्याय और उत्पादन की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आय और धन का अधिक समान वितरण लाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, आवास आदि जैसी अधिक विविध सुविधाएं प्रदान करेगा।

पर्स्ट के अनुसार, विकास में 'मनुष्य' शामिल है। 'भौतिक उत्पाद से अलग। इसे एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और जनता की अधिक भागीदारी और भागीदारी शामिल है। 'विकास जरूरतमंद लोगों को दिए गए लाभों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आबादी अपने भाग्य पर अधिक महारत हासिल करती है।' शुम्पीटर विकास को आर्थिक जीवन में केवल ऐसे परिवर्तनों के रूप में परिभाषित करते हैं जो उस पर बाहर से थोपे नहीं जाते हैं, बल्कि भीतर से अपनी पहल से उत्पन्न होते हैं। 'विकास का अर्थ मानव क्षमता की प्राप्ति के लिए स्थिति बनाना है।' विकास एक मायावी अवधारणा है और यह प्राकृतिक संसाधनों की गतिशीलता, प्रशिक्षित जनशक्ति, पूँजी और तकनीकी ज्ञान की वृद्धि और लगातार बढ़ते राष्ट्रीय लक्ष्यों, उच्च जीवन स्तर और पारंपरिक से आधुनिक समाज में परिवर्तन की प्राप्ति के लिए उनका उपयोग करता है।

विकास का सार आमतौर पर औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण के रूप में माना जाता है। विकास एक बहु-आयामी और बहु-रेखीय प्रक्रिया है। विकास को आमतौर पर परिवर्तन के एक पहलू के रूप में माना जाता है जो वांछनीय, व्यापक रूप से नियोजित और प्रशासित या कम से कम 11 सरकारी कार्रवाई से प्रभावित होता है। इस प्रकार, विकास की अवधारणा में (ए) परिवर्तन का एक पहलू (बी) एक योजना या भविष्यवाणी और (सी) उस नियोजित या अनुमानित लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सरकार की भागीदारी शामिल है। विकास शब्द का प्रयोग लोगों को अपनी स्वयं की आकांक्षाओं को पूरा करने की अनुमति देने और प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया के लिए भी किया जाता है। विकास का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और समाज में उनके लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विकास का ध्यान अब तेजी से बढ़ रहा है (ए) धन और आय का समान वितरण (बी) जनशक्ति का पूर्ण उपयोग, (सी) प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, और (डी) मानव पर्यावरण की सुरक्षा, आदि। इसलिए, विकास का अर्थ है चेंज प्लस ग्रोथ यानी, इसमें विकास, आधुनिकीकरण, सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि आदि शामिल हैं। भारत में जनजातीय आबादी का विकास सरकार, गैर सरकारी संगठनों, समाज सुधारकों, सामाजिक वैज्ञानिकों और प्राकृतिक विज्ञान के अन्य लोगों की एक प्रमुख चिंता रही है।

लेकिन आजादी के छह दशक बाद भी आदिवासी आबादी अभी भी अंधेरे में समृहबद्ध है। बल्कि चीजें पहले से ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही हैं, एक के बाद एक योजनाएं बनती और लागू होती रही हैं, उनमें से ज्यादातर का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। ज्यादातर मामलों में आदिवासियों का जीवन बद से बदतर हो गया है। क्या गलत हो गया? कहां गलत हुआ? क्या विकास की हमारी परिभाषा गलत

है? क्या समस्या के प्रति हमारी धारणा गलत है? हमने जिन कार्यक्रमों की परिकल्पना और कार्यान्वयन किया है, वे हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भिन्न हैं? क्या हमारे पास मापने योग्य लक्ष्य है? ठोस जवाबों के अभाव ने उनके घुन को उलझाने में योगदान दिया है। भारत में जनजातीय विकास की रणनीति के संबंध में हमें एक भी कथन नहीं मिल रहा है। हालांकि इस महत्वपूर्ण विषय पर पॉलिसी पेपर मौजूद है, फिर भी यह समझ से बाहर है।

हालांकि आदिवासियों के विकास के नाम पर अब तक 12 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों का भाग्य अभी भी आदिवासी प्रकृति का है, लेकिन उनके जीवन में विकास नहीं है। भारत में आदिवासी विकास योजना में सबसे बड़ा भ्रम सभी जनजातियों का एक साथ मिल जाना रहा है, जैसे कि वे एक सजातीय सांस्कृतिक समूह का गठन करते हों। सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं हो सकता है। अनुसूचित जनजातियां (ज) मानव और सांस्कृतिक विकास के पूरे स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करती हैं – शिकारी–संग्रहकर्ता–मछुआरे (जंगल) से लेकर खेती, चारागाह, सीमांत खेती, सिंचाई पर आधारित कृषि तक। यह सोचना भोलापन है कि उन सभी की समस्याएं समान हैं और समान या समान विकास या कल्याणकारी योजनाएं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होंगी।

1.1 आदिवासी विकास कार्यक्रम

आदिवासी उप–योजना (टीएसपी) रणनीति जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित की गई थी, दोहरे उद्देश्यों पर आधारित है, (1) कानूनी और प्रशासनिक सहायता के माध्यम से जनजातियों के हितों की सुरक्षाय और (2) उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए योजना योजनाओं के माध्यम से विकास के प्रयासों को बढ़ावा देना। शुरुआत में टीएसपी योजना ने अनुसूचित जनजाति की 65.25: आबादी को कवर करते हुए 178 आईटीपीएस लॉन्च किए। अब 14,194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी) हैं। छठी योजना के दौरान, संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एमएडीए) के तहत जनजातीय उप–योजना के तहत कम से कम 5,000 अनुसूचित जनजातियों के साथ 10,000 की कुल आबादी वाले आईटीडीपी क्षेत्रों के बाहर पॉकेट्स को कवर किया गया था। अब तक देश में 252 माडा पॉकेट की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा, 5,000 की कुल आबादी वाले 78 समूहों की पहचान की गई है, जिनमें से 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं।

1.2 आदिम जनजातीय समूहों के लिए योजना

75 अनुसूचित जनजातियां हैं जिनकी पहचान की गई है और उन्हें आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) की सूची में रखा गया है। इन जनजातियों की पहचान 15 राज्यों-ध्केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिर या घटती जनसंख्या, साक्षरता के बहुत कम स्तर, यानी दो प्रतिशत से कम और झूम खेती करने, आजीविका के

लिए लघु वन उत्पादों का संग्रह करने आदि के आधार पर की गई थी। नौवीं योजना अवधि में पीटीजी के विकास के लिए एक अलग कार्य योजना तैयार की गई है और पिछले दो वर्षों में इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

1.3 विशेष केंद्रीय सहायता

जनजातीय उप-योजना रणनीति के भाग के रूप में राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) दी जाती है। 1996–97 के दौरान, 330 करोड़ रुपये का संपूर्ण बजट प्रावधान जारी किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के पहले प्रावधान के तहत राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को बढ़ाने के लिए वित्त योजनाओं के लिए अनुदान दिया जाता है। रुपये की राशि। 1999–2000 के दौरान राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान के रूप में 100.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

1.4 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावासों के लिए लड़कियोंध्लड़कों के छात्रावास

यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना के तहत राज्यों को निर्माण लागत का 50 प्रतिशत और केंद्र शासित प्रदेशों को शत प्रतिशत की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1996–97 में 3.50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध 59 छात्रावासों के निर्माण के लिए 2.26 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। 1999–2000 के दौरान 29 छात्रावासों के लिए 393 लाख रुपये की राशि जारी की गई है (भारत सरकार 2002:428)। बालिका छात्रावास योजना की तर्ज पर 1989–90 में बालक छात्रावास योजना प्रारंभ की गई। 1996–97 के लिए 3.50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध 68 छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को 3.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 1999–2000 के दौरान 77 छात्रावासों के निर्माण के लिए 698 लाख रुपये की राशि जारी की गई है (भारत सरकार 2002:428)।

1.5 टीएसपी क्षेत्र में आश्रम स्कूल

यह केंद्र प्रायोजित योजना 1990–91 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्रमशः 50 प्रतिशत शेयरिंग और शत प्रतिशत के आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। 1996–97 के दौरान रुपये के बजट प्रावधान के खिलाफ। 15 आश्रम शालाओं के निर्माणधरितार के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। 1999–2000 के दौरान 36 आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 532.28

लाख रुपये की राशि जारी की गई है। 1.3.5। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण यह केंद्रीय क्षेत्र के तहत एक योजना है जिसे 1992–93 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बेरोजगार आदिवासी युवाओं को विघटनकारी गतिविधियों से दूर करने के लिए रोजगार के अवसर देना था। इस योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। 1996–97 के दौरान, 3 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध 13 वीटीसी की स्थापना के लिए 2.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 1999–2000 के दौरान 19 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 375 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

कम साक्षरता वाले इलाकों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा 1993–94 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य आठ राज्यों के 48 चिह्नित जनजातीय जिलों में महिला साक्षरता अनुपात को दो प्रतिशत से नीचे लाना है। इस योजना में पाँचवीं कक्षा तक के आवासीय शैक्षिक परिसर की परिकल्पना की गई है। यह योजना स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 1996–97 के दौरान, पांच नए परिसरों की स्थापना और 33 मौजूदा परिसरों के सुधार के लिए दो करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध 1.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 1999–2000 के दौरान 75 परिसरों के लिए 183.76 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

1.6 जनजातीय अनुसंधान संस्थान चौदह

आदिवासी अनुसंधान संस्थान (ज्ञ्य) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों द्वारा स्थापित किए गए हैं। मणिपुर और उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन सभी संस्थानों में जनजातीय लेखों को प्रदर्शित करने वाले संग्रहालय हैं। इन संस्थानों का उपयोग राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा अनुसंधान, शिक्षा, डेटा संग्रह, प्रशिक्षण, सेमिनारध्कार्यशालाओं, आदिवासी उप-योजनाओं की तैयारी में पेशेवर इनपुट, आदिवासी साहित्य के प्रकाशन, आदिवासी प्रथागत कानूनों के संहिताकरण आदि के लिए किया जा रहा है। 1996–97 के दौरान रुपये का संपूर्ण बजट प्रावधान | 1.50 करोड़ जारी किए गए। 19992000 के दौरान राज्य सरकारों को 1.05.5 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

1.7 जनजातीय सहकारिता विपणन विकास एफ

आदिवासियों को निजी व्यापारियों द्वारा शोषण से बचाने और उन्हें उनके लघु वनोपज और अधिशेष कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, सरकार ने अगस्त, 1987 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ज्ञ्यम्य) की स्थापना की है, जो मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1984 के तहत पंजीकृत है। इसने अप्रैल 1988 से प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर

दिया। ट्राइफेड ने 1988–89 में 12 मदों में डील की। लगभग सभी वस्तुओं के लिए आदिवासियों को दी जाने वाली कीमत उचित थी। बाद के वर्षों में फेडरेशन ने कई नई वस्तुओं को शामिल करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। इसे गोंद कराया और नाइजर बीज के निर्यात के लिए चौनलाइजिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्त्थम्क की अधिकृत शेयर पूँजी 100 करोड़ रुपये है और 99–2000 में प्रदत्त पूँजी 99.98 रुपये 70.73 करोड़ तक है। 1999–2000 के अंत में ट्राइफेड की शेयर पूँजी में सरकार का निवेश 99.75 करोड़ रुपये था और शेष 0.25 करोड़ रुपये का योगदान अन्य शेयरधारकों द्वारा किया गया है।

1.8 ग्रामीण अनाज बैंकों की योजना

दूरस्थ और पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के तहत 1996–97 के दौरान ग्रामीण अनाज बैंकों की एक योजना कुपोषण शुरू की गई थी। ऐसे क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासी या अनुसूचित जाति के प्रति परिवार एक विवंटल की दर से अनाज की खरीद के लिए एकमुश्त अनुदान, अनाज के भंडारण की सुविधा और बाट और तराजू की खरीद कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। चौनलाइजिंग एजेंसी के रूप में ट्राइफेड के माध्यम से। बैंक का प्रबंधन स्वयं लाभार्थियों द्वारा चुनी गई एक ग्राम समिति द्वारा किया जाएगा, जो बैंक के सदस्य के रूप में 18 की कमी के समय अनाज बैंकों से अनाज उधार ले सकते हैं। 231 अनाज बैंकों के लिए 1996–97 के दौरान योजना के लिए 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। अतिरिक्त 312 अनाज बैंकों के लिए 1997–98 के लिए आवंटन 2 करोड़ रुपये था। 1999–2000 के दौरान 1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जबकि 2000–01 के लिए 2 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

1.9 अध्ययन का उद्देश्य

- भारत में जनजातीय विकास प्रशासन का अध्ययन करना।
- जनजातीय विकास की समस्याओं और चुनौतियों का पता लगाना।

2. साहित्य की समीक्षा

जनजातीय विकास प्रशासन अध्ययन और गतिविधि का एक विशाल क्षेत्र है। शोधकर्ता के पास अनेक पुस्तकें, लेख, रिपोर्ट, दस्तावेज आदि हैं। पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों की समीक्षा से जनजातीय विकास प्रशासन और कल्याणकारी योजनाओं के अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है। कुछ स्रोतों की समीक्षा की जाती है:

मौलीना बेरा पटनायक (2013) ने अपने लेख जंगल महल के सालबोनी ब्लॉक में आदिवासी माता-पिता के बीच शैक्षिक जागरूकता का एक अध्ययन में आदिवासी माता-पिता के बीच साक्षरता दर, सरकारी योजनाओं के बारे में उनकी जागरूकता, अपने बच्चों को शिक्षित करने में माता-पिता के उद्देश्यों, वित्तीय सहायता पर चर्चा की है। आदिवासी बच्चों और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का आकलन करने और उपयुक्त उपाय सुझाने का प्रयास किया है।

देवेंद्र ठाकुर और डी.एन. ठाकुर (2009) ने अपनी पुस्तक ट्राइबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन किया है। यह पुस्तक विभिन्न आदिवासी विकासात्मक योजनाओं और योजनाओं में जनजातीय लोगों की भागीदारी के तरीके को भी मापती है।

सार्थक सेनगुप्ता (2003) ने अपनी पुस्तक ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ-ईस्ट इंडिया में पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के जैविक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर बढ़ते साहित्य में योगदान देने का प्रयास किया है।

भूपिंदर सिंह (1980) ने अपने लेख आदिवासी विकास: रणनीति और दृष्टिकोण में प्रमुख जनजातियों के बीच विकास की समस्याओं और उनसे निपटने के लिए विकसित रणनीति की व्याख्या की है। व्यापक नोट्स और एक चुनिंदा पठन सूची शोधकर्ताओं और प्रशासकों दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है।

एसपी सिन्हा (1981) ने अपने लेख ट्राइबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन: ए हिस्टोरिकल ओवरव्यू में भारत में ब्रिटिश शासन के दिनों से आदिवासी विकास प्रशासन का ऐतिहासिक अवलोकन दिया है। वह इस तरह की समस्याओं से निपटने में शालीनता के खिलाफ चेतावनी देकर समाप्त हो जाता है।

एस जी देवगांवकर (1994) ने अपनी पुस्तक ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का खुलासा किया है। उन्होंने जनजातीय विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच की और योजनाओं के दौरान जनजातीय विकास पर परिव्यय और अपनाई गई प्राथमिकताओं को भी इंगित किया गया है।

सी.पी. सिंह (1994) ने अपनी पुस्तक ट्राइबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनजातियों के सांख्यिकीय आंकड़ों पर चर्चा की है। वह गैर-आदिवासियों, जमींदारों आदि द्वारा देश के भीतर जनजातीय लोगों के शोषण के बारे में भी बताते हैं।

गोविंदा चंद्र रथ (2006) ने अपनी पुस्तक ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया में तेरह शोध पत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है जिसमें पिछले पचास वर्षों से अधिक के आदिवासी विकास में विविध अनुभवों को दर्शाया गया है।

एल.पी. विद्यार्थी (1975) गैर-आदिवासी दुनिया के साथ उनके संपर्क के परिणामस्वरूप, भारत की जनजातीय आबादी के बीच व्यापक सामाजिक-आर्थिक अंतर देखे गए हैं। जबकि औद्योगिक और शहरी परिसरों के आसपास के जनजातीय समूहों को उनके भाइयों से अलग समस्याएं हैं जो तुलनात्मक अलगाव में रहते हैं, धार्मिक रूपांतरण ने जनजातीय जीवन शैली में भेदभाव का एक और कारक जोड़ा है। उनके पारिस्थितिक तंत्र, पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों, विश्वासों और प्रथाओं, और हाल के औद्योगिक और शहरी प्रभावों में भेदभाव के इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थी ने भारत की जनजातीय आबादी को छह व्यावसायिक प्रकारों में वर्गीकृत किया है।

3. क्रियाविधि

वर्तमान कार्य प्राथमिक और द्वितीयक डेटा पर आधारित है। प्राथमिक डेटा प्रश्नावली, अवलोकन और लाभार्थियों के साक्षात्कार के साथ-साथ जनजातीय संगठन और विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कर्मियों के माध्यम से एकत्र किया गया है। द्वितीयक आंकड़े भी विभिन्न स्रोतों जैसे पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों (स्थानीय और राष्ट्रीय) और अन्य प्रासंगिक प्रकाशित और अप्रकाशित कार्यों से एकत्र किए गए हैं।

विभिन्न स्रोतों से अनुसंधान कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द्वितीयक डेटा को भी व्यापक रूप से एकत्र किया गया है और एकत्र किए गए डेटा का सावधानीपूर्वक परीक्षण, अध्ययन और अध्ययन के लिए छानबीन की गई है।

4. परिणाम और चर्चा

4.1 जनसांख्यिकीय प्रोफाइल


जनसांख्यिकी जनसंख्या और इसकी संबद्ध विशेषताओं जैसे संरचना, संरचना, विशेषताओं, विकास, गतिशीलता, वितरण पैटर्न और मात्रा आदि का अध्ययन है। यह खंड मिजोरम की जनसंख्या का व्यापक अध्ययन करने का प्रयास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, में जनसंख्या की कुल संख्या 10,97,206 थी। कुल जनसंख्या में 5,55,339 पुरुष और 5,41,867 महिलाएँ थीं, 2001 में कुल जनसंख्या 8,88,573 थी जिसमें पुरुषों की संख्या 4,59,109 थी जबकि महिलाओं की संख्या 4,29,464 थी।

2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या 5,25,435 व्यक्ति थी और शहरी जनसंख्या 5,71,771 व्यक्ति थी। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 52 व्यक्ति था। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 976 महिलाओं का था। साक्षरता दर 91.33 प्रतिशत थी। कुल श्रमिकों का प्रतिशत 44.36 प्रतिशत था। 8

प्रशासनिक जिले हैं। आइजोल, लुंगलेई, सइहा, ममित, कोलासिब, सेरछिप, चम्फाई, लौंगतलाईय 3 स्वायत्त जिला परिषद, 23 अनुमंडल, 26 आर.डी. ब्लॉक, 830 गांव।

तालिका 1 मिजोरम में 2011 जनगणना जिले की आबादी

जिला	लिंग	लिंग अनुपात	घनत्व प्रति वर्ग। किमी		विकास दर 2001–11	साक्षरता दर
			पुरुष	महिला		
ममित			12	11	56	46
कोलासिब	1422	2644	46	12	50	26
आइजोल	4666	1233	42	46	23	11
चम्फाई	4666	4679	21	12	86	40
लुंगलेई	4689	1246	77	26	13	55




आकृति.1 मिजोरम में 2011 जनगणना जिले की आबादी

- जनसंख्या का घनत्व:** मिजोरम राज्य कम आबादी वाला है। पहाड़ी परिदृश्य की विशेषताओं के साथ उत्तर-पूर्व कोने में इसकी दूरस्थ स्थिति के कारण भू-राजनीतिक प्रतिबंधों, निम्न आर्थिक

स्तर, राजनीतिक अस्थिरता आदि के साथ मिलकर जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक रूप से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मिजोरम की आबादी 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व के साथ 10,97,206 थी, जो भारतीय राज्यों में दूसरा सबसे कम है। 2011 की जनगणना में राष्ट्रीय स्तर पर घनत्व 382 था। जिला स्तर पर 2011 में 112 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ आइजोल जिले में घनत्व सबसे अधिक है, इसके बाद कोलासिब जिले में 64 व्यक्ति हैं।

तालिका 2मिजोरम में 2011 जनगणना जिलेकी सघनता वाली आबादी

जिला	लिंग		लिंग अनुपात
मामित	महिला	पुरुष	
मामित			12
कोलासिब	1422	2644	46
आइजोल	4666	1233	42
चम्फाई	4666	4679	21
लुंगलेई	4689	1246	77




आकृति. 2मिजोरम में 2011 जनगणना जिले की सघनता वाली आबादी

- आयु वितरण:** जनसंख्या के जनसांख्यिकीय अध्ययन में, आयु संरचना के विश्लेषण का सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्व है। मिजोरम 2011 की जनगणना में आयु वितरण एक बार चार्ट आरेख के साथ तालिका में प्रस्तुत किया गया है। आरेख से यह स्पष्ट है कि पांच आयु समूहों में से प्रत्येक के द्वारा, 0–4 के आयु वर्ग ने उच्चतम प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी जनसंख्या का गठन किया जो कुल जनसंख्या का 11.04 प्रतिशत है। इसके बाद 5–9 वर्ष आयु समूह 10.73 प्रतिशत के साथ आता है, और उच्च आयु वर्ग की ओर घटता रहता है। यह देखा गया है कि कुल आबादी का 32.44 प्रतिशत 15 वर्ष से कम आयु का है, और 60-70 और उससे अधिक आयु वर्ग में केवल 6.25 प्रतिशत है ये जबकि 15–59 आयु वर्ग में सक्रिय जनसंख्या 61.24 प्रतिशत थी। आयु नहीं बताई गई जो कुल जनसंख्या का 0.06 प्रतिशत है।

तालिका 3 2011 की जनगणना मिजोरम में उम्र के हिसाब से पुरुषों और महिलाओं की आबादी

आयु समूह	लिंग	
	महिला	पुरुष
10-12	110.224	447.222
12-19	5355.44	245.227
19-20	753.255	534.255
20-25	255.542	447.552



आकृति. 32011 की जनगणना मिजोरम में उम्र के हिसाब से पुरुषों और महिलाओं की आबादी

यह मिजोरम की रूपरेखा का अध्ययन करता है और यह मिजोरम राज्य के बारे में तथ्यों को मिजो के संक्षिप्त इतिहास के साथ पेश करता है। यह अध्याय मिजो लोगों के सामाजिक-राजनीतिक विकास की व्याख्या करता है जब से ब्रिटिश ने मिजोरम में प्रशासन संभाला, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, मिजोरम में सभी मिजो जनजातियों के विभिन्न जनजातीय समूहों की उत्पत्ति, प्रवासन, वर्तमान स्थिति का संकेत उनकी जनजातियाँ, उप-गोत्र, बोलियाँ, परंपराएँ इत्यादि।

5. निष्कर्ष

पिछले अध्याय में मिजोरम में जनजातीय विकास योजनाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच की गई है और इसे पांच प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में जनजातीय विकास योजनाओं की शुरुआत और क्रियान्वयन से संबंधित अखिल भारतीय परिदृश्य पर संक्षेप में चर्चा की गई है।

जनजातीय विकास प्रशासन में एक सामान्य अर्थ में हर गतिविधि शामिल होती है जो जनजातीय लोगों के कल्याण को बढ़ावा देती है। जनजातीय विकास प्रशासन में जनजातीय लोगों की सुरक्षा, अवसर और सहायता के प्रावधान शामिल हो सकते हैं ताकि वे मुख्य धारा तक पहुँचने के लिए अपनी यात्रा की सर्वोत्तम शुरुआत कर सकें। जनजातीय लोगों को दुर्घटनाएँ और शोषण से विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है वे सरकार और समाज के कार्यों और निष्क्रियताओं से एक सामान्य नागरिक की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए, आदिवासी विकास प्रशासन में मुख्य रूप से उनकी सुरक्षा और सुरक्षा सहित उनके समग्र उत्थान में सुधार के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के उन सभी संगठित संचालन, गतिविधियों और प्रयासों को शामिल किया गया है। जनजातीय विकास प्रशासन में नियामक प्रशासन को

भी शामिल करने की आवश्यकता है यह आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6. संदर्भ

1. अमिता बाविस्कर। (1998)। इन द बेली ऑफ द रिवर, दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. आनंद जी। (2000)। आंध्र प्रदेश में आश्रम स्कूल, नल्ला मल्ला हिल्स, नई दिल्ली के चेंचस का एक केस स्टडी: राष्ट्रमंडल प्रकाशन।
3. अवधेश कुमार सिंह। (2003)। जनजातीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, नई दिल्ली: सीरियल प्रकाशन।
4. अवधेश कुमार सिंह। (2003)। जनजातीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, दिल्ली: सीरियल प्रकाशन।
5. बख्शी और किरण बाला। (2000)। अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक और आर्थिक विकास, नई दिल्ली: दीप और दीप प्रकाशन प्रा। लिमिटेड
6. बापूजी, एम. (1974). ‘विशाखापत्तनम के जिला परिषद में जनजातीय कल्याण पर विशेष स्थायी समिति का कार्य’, वन्याजती, 22, 2, 1974, का। 63–65।
7. केयर, जीएम (1973)। “अनुसूचित जनजाति में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाय पूना शहर में अप्रवासी महादेव टोलियों का एक केस स्टडी”, द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 34, 2।
8. जनगणना। (2001)। भारत सरकार। भारत की जनगणना। (1981), सीरीज ८ इंडिया, 1982 का पेपर ८, फाइनल पॉपुलेशन टेबल्स, नई दिल्ली: भारत सरकार।
9. बसु, ए.आर. (1985): भारत में जनजातीय विकास कार्यक्रम और प्रशासन”, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तक संगठन। 1951 से 2011 तक भारत की जनगणना, भारत सरकार।
10. चौधरी, ममता (1977)। प्राचीन भारत की जनजातियाँ, कलकत्ता, भारतीय संग्रहालय,
11. पाथी, जे. 1987 जातीय अल्पसंख्यक और विकास की प्रक्रियाएं, यूजीसी नई दिल्ली को प्रस्तुत अनुसंधान रिपोर्ट
12. पोडोलेफस्की, ए और ब्राउन, पी.जे. एप्लिंग एंथ्रोपोलॉजी, मेफील्ड पब्लिशिंग कंपनी, कैलिफोर्निया
13. रेडविलफट, माइकल 1989 1984 डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंटल क्राइसिस: रेड एंड ग्रीन अल्टरनेटिव्स? मेथुएन, न्यूयॉर्क।
